सेना और सिविल डिफेंस की संयुक्त पहल: 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 600 मास्टर ट्रेनर

रक्षा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन | समाचार संदर्भ: 23 अक्टूबर 2026 (पीआईबी, गृह मंत्रालय) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

भारतीय सेना और सिविल डिफेंस के संयुक्त प्रयास से सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर्स के लिए तीन-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है (पीआईबी, 23 अक्टूबर 2026)। पहले चरण में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 600 मास्टर ट्रेनर (प्रत्येक से 50) नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह तक प्रशिक्षित किए जाएँगे; इसके बाद प्रत्येक मास्टर ट्रेनर अपने राज्य में 100 सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों को आगे प्रशिक्षित करेगा — यह "गुणक-प्रभाव" (multiplier effect) मॉडल है।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

- **प्रशिक्षण के तीन क्षेत्र:** खतरे की जागरूकता; सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया; संचार और समन्वय।
- **उद्देश्य:** समकालीन सुरक्षा-खतरों, शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों और आपात स्थितियों में सिविल डिफेंस की तैयारी बढ़ाना और नागरिक-सैन्य समन्वय को संस्थागत करना।

पृष्ठभूमि

सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस अधिनियम 1968 के तहत गठित स्वयंसेवक-आधारित संगठन है जो आपदा/आक्रमण-जैसी आपात स्थितियों में नागरिक सुरक्षा में सहायता करता है।

परीक्षा की दृष्टि से

सिविल डिफेंस की संस्थागत पहचान (गृह मंत्रालय, 1968 अधिनियम), आपदा-प्रबंधन ढाँचे में नागरिक-सैन्य समन्वय — प्रिलिम्स/GS-III।

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

सिविल डिफेंस की संस्थागत पहचान स्पष्ट रखें: **सिविल डिफेंस अधिनियम 1968** के तहत गठित, गृह मंत्रालय से जुड़ा स्वयंसेवक-आधारित तंत्र — उद्देश्य युद्ध-जैसी शत्रुतापूर्ण स्थिति या आपदा में नागरिक जान-माल की रक्षा और आपात-सेवाओं को सहायता। यह सेना/पुलिस का विकल्प नहीं, उनका **पूरक नागरिक-स्तर** है।

PCSMANTRA.COM

इस पहल का "गुणक-प्रभाव" मॉडल गणित में देखें: 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों × 50 = **600 मास्टर ट्रेनर**; प्रत्येक आगे 100 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेगा — यानी लक्ष्य-शृंखला लगभग **60,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों** तक पहुंचने की है। प्रशिक्षण के तीन स्तंभ — **खतरे की जागरूकता, सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया, संचार और समन्वय** — क्रमशः "पहचानो, बचाओ, जोड़ो" के तर्क के हैं।

व्यापक ढाँचे में यह पहल **नागरिक-सैन्य समन्वय** को संस्थागत करती है: आपदा-प्रबंधन व्यवस्था (राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के ढाँचे) में सेना केवल अंतिम सहायता नहीं रह गई, बल्कि **क्षमता-निर्माण का भागीदार** बन रही है। परीक्षा-दृष्टि: प्रिलिम्स में 1968 अधिनियम और गृह मंत्रालय से जुड़ाव; GS-III (आंतरिक सुरक्षा/आपदा-प्रबंधन) में "समकालीन खतरों के युग में सिविल डिफेंस की प्रासंगिकता" पर लिखने योग्य मसौदा तैयार रखें।

स्रोत और सीमाएँ

- पीआईबी (गृह मंत्रालय), 23 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2327332
- **सीमाएँ:** 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नाम विज्ञप्ति-अंश में नहीं दिखे; संख्या-विवरण विज्ञप्ति का ही है। कार्यक्रम शुरू होना शेष है।

PCSMANTRA.COM